

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

जस्टिफिकेशन प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनों पटरी चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में 1.8970 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग अपरिहार्य एवं विकल्पहीन है, इस कार्य हेतु न्यूनतम संरक्षित वन भूमि (1.8970है0) प्रस्तावित की गयी है।


(ज.म.सिंह)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर


(अजय भास्कर)
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

C/S


(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

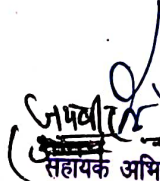
Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 Km. to Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

गैर वन भूमि पर किये जाने वाले मलबा निस्तारण का प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में प्रस्तावित स्थल से कोई मलबा उत्सर्जित नहीं होगा। इसलिए गैर वन भूमि पर मलबा निस्तारण की आवश्यकता नहीं है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-


(जयप्रकाश सिंह)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर


(अजय भास्कर)
अधिशाली अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

Muck Disposal Management Plan

S.No	Particulars	Description
1	Calculation of muck to generated swell factor has to applied	कोई मलवा उत्सर्जित नहीं होगा
2	Quantity of muck to be utilized in the project activities.	लागू नहीं
3	Balance Quantity of muck which requires disposal/ management plan	लागू नहीं
4	Carroage of muck from the muck generation site to the dumping site.	लागू नहीं
5	Ownership of land and the consent of land owner in case muck disposal is proposed on non forest land	लागू नहीं
6	Photograph & carrying capacity of proposed dumping site,	लागू नहीं
7	Development of dumping site with construction of retaining walls and other structure as per requirement	लागू नहीं
8	Rehabilitation of dumping site like leveling, planting of grass, shrubs and trees.	लागू नहीं

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(अजय भास्कर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

15/12/2021
(अजय भास्कर)
अधिसूचना अधिकारी
निर्माण लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर
CL5

15/12/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

(वन अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन की पत्र संख्या- 7314/14-03-980,/82 दिनांक 31.12. 1984 द्वारा निर्धारित)

1. भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसके वैधानिक स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित/आरक्षित वन भूमि बनी रहगी।
2. प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा, अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं।
3. प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
4. वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया जाये कि मांगी गयी भूमि न्यूनतम भूमि है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।
5. प्रयोक्ता एजेंसी उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेगें और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित मुआवजे का भुगतान उक्त विभाग को करना होगा।
6. परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेंसी के व्यय पर सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में करायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाए गये मुनारे आदि की भी देखभाल करेगा।
7. हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेंसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
8. बहुमूल्य सम्पदा से आच्छादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य कारणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षति पूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वच्छन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।
9. सिचाई विभाग /जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरियों /पौधों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों को निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।
10. याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा विभाग, संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः बिना किसी प्रकार के प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता याचक विभाग को न रहने पर भी हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि (Automatic) स्वतः बिना किसी प्रतिकर का भुगतान किए वन विभाग को प्रत्यावर्तित हो जायेगी।
11. सड़क निर्माण में प्रस्तावों पर (संरेखण) "एलाइनमेंट" तय होते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श सा0नि0नि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख अभियन्ता सा0नि0नि0 कि अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, पर्वतीय क्षेत्र पौड़ी को सम्बोधित पत्र संख्या-608 सी0 दिनांक 10.02.1982 में निहित आदेशों का पातन भी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा कि अश्व मार्ग बनाना अथवा

- वन मार्गों को मामूली फेरबदल कर पक्का करना होगा। बशर्ते ऐसा करना याचक विभाग के खर्च से पर्याप्त न होगा और नई सड़क का निर्माण ही आवश्यक है।
12. वन विभाग का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र के आधार पर आंकलित होगा, जो याचक विभाग को मान्य होगा।
 13. वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश वन निगम अथवा अन्य कोई उपयुक्त प्रक्रिया जो वन विभाग उचित समझे, द्वारा किया जायेगा। यदि किसी कारण से वृक्षों का निस्तारण वन विभाग द्वारा सम्भव न हो सके और उनका पातन आवश्यक हो तो याचक विभाग द्वारा वृक्षों का बाजार भाव मूल्य देय होगा।
 14. हस्तान्तरित भूमि में पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकर याचक विभाग द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा एक पेड़ के पालन पर दस पेड़ों का रोपण तथा तीन वर्ष तक परितोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा निर्धारित किया जाये, का भुगतान वन विभाग को करना होगा। 1000 मीटर एवं 30° से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन निषिद्ध है। इसी प्रकार बांज (OAK) के पेड़ों का पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण वन संरक्षक स्तर पर ही हो सकेगा।
 15. वन भूमि के ऊपर से विद्युत लाईन कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का कटान नहीं किया जायेगा व पारोषण लाईन के खम्भों का ऊंचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों का बचाया जायेगा, यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है, तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके संबंधित वन संरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।
 16. यदि नहर आदि निर्माण में भू-क्षरण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पटरियों को पक्का कराना आवश्यक समझा जाता है तो ऐसा याची अपने व्यय से स्वयं करायेगा।
 17. उपरिलिखित मानक शर्तों के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्तें लगायी जाती हैं तो वे याचक विभाग को मान्य होंगी।
 18. वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाये, जब उक्त शर्तों का पूरा पालन कर लिया जाये अथवा उनका समुचित स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाये।
- प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग, उ०प्र० शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गयी शर्तें प्रयोक्ता

एजेंसी को मान्य है।

स्थान—मुजफ्फरनगर

दिनांक—

(*[Signature]*)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(*[Signature]*)
15/12/2021
(अजय भास्कर)
अधिशिक्षा अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर
C/S

(*[Signature]*)
22/12/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रमार्गाय निदेशक
सामाजिक यानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

लाभाविन्त होने वाले ग्रामों/ परिवारों की जनसंख्या के सम्बन्ध में प्रमाण -पत्र

उक्त परियोजना स्थापित होने पर लगभग 15 ग्रामों जिनकी जनसंख्या लगभग पांच लाख है, लाभाविन्त होगी व इसके अतिरिक्त आने एवं जाने वाले विभिन्न वाहनों को इसका लाभ प्राप्त होगा।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(अजीज भास्कर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

15/12/2021
(अजय भास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

C/S

15/12/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों के मान्य होने का प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य प्रस्ताव योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स की संस्तुतियों, के अनुरूप निर्गत शर्तें, लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 मुजफ्फरनगर को मान्य होगी।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(अजय भास्कर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

15/12/2021
(अजय भास्कर)
अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1
लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

C/S

15/12/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक यानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

भूमि की भू-गर्भीय संरचना का भू-गर्भ शास्त्रीय प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव में प्रस्तावित कार्यों के कारण भू-गर्भीय संरचना पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए प्रकरण में भू-गर्भीय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

15/12/21
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

15/12/21
(अजय भास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

C/S

15/12/21
(कनका पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

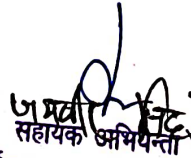
प्रस्तावित वन भूमि के स्थान पर समतुल्य गैर वन भूमि उपलब्ध न होने संबंधी प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में संरक्षित वन भूमि के बदले क्षतिपूर्ति हेतु समतुल्य गैर वन भूमि वन विभाग को उपलब्ध कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग निर्माण खण्ड-1 मुजफ्फरनगर के पास कोई भूमि उपलब्ध नहीं है।

अतः उक्त के क्रम में समतुल्य 1.8970 है0 भूमि उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है। अतः भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश के अनुसार प्रस्तावित संरक्षित वन भूमि की दो गुना अवनत वन भूमि अर्थात् 3.8 है0 अवनत वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष के अनुरक्षण हेतु धनराशि उपलब्ध कराने हेतु वचनबद्धता दी जाती है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

15/11/2024
(अजय भास्कर)
अधिसूचना
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर
मुजफ्फरनगर
C/S

20/11/2024
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

लागत लाभ विश्लेषण संबंधी प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आलोच्य परियोजना से संबंधित क्षेत्र 20 है० से कम होने के कारण, आलोच्य प्रस्ताव के संबंध में लागत लाभ विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(जमाला सिंह)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

28/11/2021
(अजय भास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
अधिसासी निर्माण खण्ड-1
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

C/S

28/11/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रमाणीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन न किये जाने के संबंध में वचनबद्धता

प्रमाण -पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में संक्षम स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त किये बिना कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा तथा वन(संरक्षण) अधिनियम 1980 (यथा संशोधित) का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(*[Signature]*)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(*[Signature]*)
15/02/2021
(अजय भास्कर)
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर

c/s

(*[Signature]*)
29/02/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रमार्गीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निरूपित शर्तों को मान्य होने संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रस्ताव के सापेक्ष भारत सरकार एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं उ०प्र० सरकार द्वारा समय-समय पर निरूपित शर्तों को मान्य किये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण

खण्ड-1 मुजफ्फरनगर बाध्यकारी होगा।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(अजय भास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

15/12/2021
(अजय भास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

CL5

28/12/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या—

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की धनराशि जमा करने के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में भारत सरकार / राज्य सरकार / वन विभाग द्वारा जो भी धनराशि निर्धारित की जायेगी उस धनराशि को जमा करने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 मुजफ्फरनगर वचनबद्ध है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(अजय भास्कर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

15/12/2021
(अजय भास्कर)
अधिसूची अभियन्ता
आधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर

CLL
15/12/2021
(कन्हैया पटेल)
प्रभारग्राय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या—

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

भविष्य में शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की बढ़ी हुई धनराशि जमा करने के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनो पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में भारत सरकार / राज्य सरकार/ वन विभाग द्वारा जो भी धनराशि में बढ़ोत्तरी की जाती है तो बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 मुजफ्फरनगर वचनबद्ध है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक—

(अजय भास्कर)
अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(अजय भास्कर)
अधिसूचक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(कन्हैया पटेल)
प्रमार्गाय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रमा
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में 1.8970 संरक्षित वन भूमि के अतिरिक्त अन्य कोई भी वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(जयवी सिंह)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(अजय भास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
अभिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर

4/5

(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या—

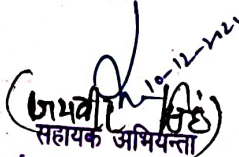
Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

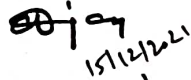
वन्य जीवों को क्षति न पहुंचाये जाने के संबंध में प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनों पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव में प्रयोक्ता एजेंसी एवं उसके प्रतिनिधियों द्वारा किसी भी वन्य जीव एवं वनस्पति को क्षति नहीं पहुंचायी जायेगी। यदि कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रयोक्ता एजेंसी का होगा।

स्थान—मुजफ्फरनगर

दिनांक—


(अजय भास्कर)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर


(अजय भास्कर)
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

C/S


(कन्हैया पटेल)
प्रमार्गीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

Check List Sl. No-8

Statment showing details of forest area involved in the proposal

S.No.	Division	Range Teshil / Village	Khasara/ Survey or compartment No.	Forest area involved in the proposal	Present land use	Remark
1	Social Forestry Division Muzaffarnagar	Muzaffarnagr Range / Village Almaspur, Sawali Bibipur, in Tehsil- Sadar Disst. Muzaffarnagar.	State Highway -12 , Muzaffarnagr-Meerapur- Jansath road Km. Change 2.290 to 5.000 Both Side	1.8970ha.	Nil	Nil

Place :- Muzaffarnagar

Date:-

(*[Signature]*)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(*[Signature]*)
15/12/24
(अजय भास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

C/S

(*[Signature]*)
28/12/24
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Tehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

Check List Sl. No-9

Statment showing details of Non forest area involved in the proposal

S.No.	Division	Range Teshil / Village	Khasara/ Survey or compartment No.	Forest area Involved in the proposal	Present land use	Remark
1.	Social Forestry Division Muzaffarnagar	Muzaffarnagr Range / Village Almaspur, Sawali Bibipur, in Tehsil- Sadar Disst. Muzaffarnagar.	Khasara No.1041, 1042, 1045 and 1046	State Highway - 12, Muzaffarnagr-Meerapur-Jansath road Km. Change 2.290 to 5.000 Both Side	Nil	Nil

Place :- Muzaffarnagar

Date:-

(*[Signature]*)
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(अजय मास्कर)
अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

45

(*[Signature]*)
प्रभारीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

संलग्नक संख्या-

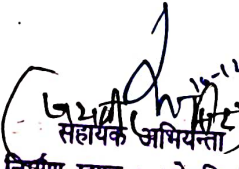
Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

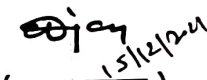
क्षतिपूरक वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनो पटरी चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के प्रस्ताव के क्रम में क्षतिपूरक वृक्षारोपण की जो भी धनराशि की मांग, भारत सरकार / राज्य सरकार / वन विभाग द्वारा की जायेगी, उस धनराशि को जमा करने हेतु लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 मुजफ्फरनगर वचनबद्ध है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-

(
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर

(
(अजय मास्कर)
अधिसासी अभियन्ता
आधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर

OK

(
(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

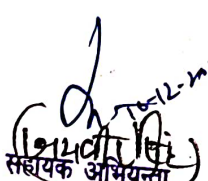
Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagr-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

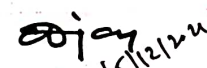
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पेट्रोल पम्प के पहुंच मार्ग में प्रयुक्त होने वाली वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक-18.03.2010 में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में वचनबद्धता प्रमाण पत्र।

- 1- प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनो पटरी चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन के पातन अनुमति का प्रस्ताव मेरे द्वारा प्रेषित किया गया है।
- 2- प्रमाणित किया जाता है कि विषयक प्रस्ताव में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु प्रयुक्त होने वाली वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश दिनांक-18.03.2010 में उल्लिखित समस्त शर्तों का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।
- 3- वन विभाग द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों का अनुपालन करने हेतु वचनबद्ध हूँ।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-


(अजय भास्कर)
अधिसूत्री अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०
मुजफ्फरनगर


(क०स०प०पटेल)
प्रमार्गीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर

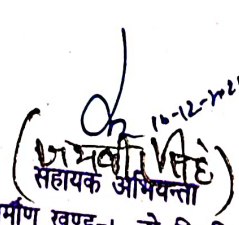
Proposal of 1.8970 Ha. (P.F. land) Forest land proposed to be diverted to Public Work Department (PWD) Muzaffarnagar for widening and Strengthening of Muzaffarnagar-Jansath-Meerapur Road (SH-12) From Km. Chainage 2.290 to Km. Chainage 5.000(Both Side) in Thehsil & Distt. Muzaffarnagar.(UP)

भारत सरकार के पत्रांक एफ0नं0-11-260/2014एफ0सी0 दिनांक 11.07.2014 में दी गयी शर्तों की अनुपालन आख्या

- 1- प्रमाणित किया जाता है कि लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में मुजफ्फरनगर-जानसठ-मीरापुर मार्ग (एस0एच0-12) के कि0मी0 चैनैज 2.290 से कि0मी0 5.000 तक दोनो पटरी चौडीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 1.8970 है0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं परियोजना में बाधक वृक्षों के पातन का प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग, निर्माण खण्ड-1 मुजफ्फरनगर के अधीन है तथा उक्त कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा ही कराया जा रहा है। अतः प्रस्तावित मार्ग चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के ले-आऊटलेट प्लान क्रॉस सैक्शन को लोक निर्माण विभाग से तैयार कराकर प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है।
- 2- प्रश्नगत प्रस्तावित रिटेल आऊटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतुवृक्ष बाधकहै।
- 3- उक्त निर्माण हेतु रोड साईड वन क्षेत्र को कोई हानि नहीं होने दी जायेगी। इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।
- 4- प्रश्नगत मार्ग/ रोड चौडीकरण हेतु पूर्व में भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार से अनुमति नहीं ली गयी है। अतः यह शर्त लागू नहीं होती है।
- 5- प्रश्नगत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी साईन बोर्ड रोड साईड प्लान्टेशन को प्रभावित किये बिना लगाया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।
- 6- प्रश्नगत प्रस्तावित मार्ग चौडीकरण के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों, सम्पर्क मार्गों के बीच के रिक्त स्थान पर रोड़ सैपरेटर पर क्षतिपूरक वनीकरण अतिरिक्त पौधों का रोपण किया जायेगा। इस आशय की वचनबद्धता दी जाती है।

स्थान-मुजफ्फरनगर

दिनांक-


(अजय भास्कर)
अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड-1
लोक निर्माण विभाग
मुजफ्फरनगर

C/S


(कन्हैया पटेल)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रभाग
मुजफ्फरनगर